राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1200/2011

मातादीन धामूनिया –अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज., जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर, राज.।
3. ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, तिजारा, अलवर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 13.09.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति. राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति दिनांक 31.01.2009 को चुकी है। दिनांक 05.09.1976 से दिनांक 10.09.1976 तक जब अपीलार्थी अजमेर में कार्यरत था, तब उक्त अवधि को Leave Without Pay मानकर बिना किसी नियम का पालन करते हुए अपीलार्थी की वार्षिक वेतन वृद्धि तिथि 05.12.1976 के स्थान पर 11.12.1976 कर दी गई। अपीलार्थी दिनांक 05.09.1976 से 10.09.1976 तक बुखार से पीड़ित था, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने मेडिकल प्रमाण एवं आरोग्य प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया था। अपीलार्थी के सेवानिवृत्त होने के पश्चात वेतन नियतन/वेतन वृद्धि संशोधित की गई, जिसके संबंध में आदेश दिनांक 29.04.2010 पारित किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति होने के पश्चात उसका वेतन नियतन/वेतन वृद्धि में संशोधन के आदेश पारित किये गयें और अपीलार्थी से वसुली की कार्यवाही की जा रही है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने केवल वसुली की हद तक कार्यवाही नहीं किये जाने की प्रार्थना की है।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिवक्ता का कथन है कि कार्यवाही नियमानुसार अमल में लाई गई है। अपीलार्थी ने देरी से अपील प्रस्तुत की है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

3. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी दिनांक 31.01.2009 को सेवानिवृत्त हुआ है। ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी तिजारा, अलवर ने कार्यालय आदेश दिनांक 29.04.2010 के द्वारा वेतन नियतन/चयनित वेतनमान/वेतन वृद्धि संशोधित की गई। जिसके उपरांत ग्रेचुटी पेमेंट ऑर्डर दिनांक 21.09.2010 के द्वारा अपीलार्थी की ग्रेचुटी की राशि से 208943/– रुपये की वसुली की गई है। अतः स्पष्ट है कि अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति के पश्चात दिनांक 21.09.2010 को अपीलार्थी से वसुली की गई है, जिसके पश्चात अपीलार्थी ने दिनांक 12.09.2011 को यह अपील प्रस्तुत की है। हम अपील प्रस्तुत करने में कोई असाधारण देरी होना नहीं मानते हैं। ऐसे में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा ली गई आपत्ति कि अपील देरी से प्रस्तुत की गई है, स्वीकार योग्य नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रकरण पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह 2015 (1) SCT 195 में निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया गया हैः–

State of Punjab v Rafiq Masih 2015 (1) SCT 195

"12. It is not possible to postulate all situations of hardship, which would govern employees on the issue of recovery, where payments have mistakenly been made by the employer, in excess of their entitlement. Be that as it may, based on the decisions referred to herein above, we may, as a ready reference, summarise the following few situations, wherein recoveries by the employers, would be impermissible in law:

(i) Recovery from employees belonging to Class-III and Class-IV service (or Group 'C' and Group 'D' service).

(ii) Recovery from retired employees, or employees who are due to retire within one year, of the order of recovery.

(iii) Recovery from employees, when the excess payment has been made for a period in excess of five years, before the order of recovery is issued.

(iv) Recovery in cases where an employee has wrongfully been required to discharge duties of a higher post, and has been paid accordingly, even though he should have rightfully been required to work against an inferior post.

(v) In any other case, where the Court arrives at the conclusion, that recovery if made from the employee, would be iniquitous or harsh or arbitrary to such an extent, as would far outweigh the equitable balance of the employer's right to recover."

4. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत से स्पष्ट है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात वसुली किया जाना उचित नहीं माना गया है। उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत को दृष्टिगत रखते हुए यह अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।
5. अतः यह अपील स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी से वसुल की गई राशि 208943/— अपीलार्थी को 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के साथ वापस लौटाई जायें। इस आदेश की पालना 3 माह में किया जाना सुनिश्चित किया जावें।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)